(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में प्रकाशित)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या - 181 नई दिल्ली, 20 जुलाई 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, शुष्क गोदीकरण प्रभारों के संशोधन के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव का निपटान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/4/2009–वीपीटी

विशाखापत्तनम पत्तन न्यास ——— आवेदक

आदेश

(जून, 2010 के 16वें दिन पारित)

यह मामला पत्तन के स्वामित्व वाली शुष्क गोदी में प्रभार्य शुल्क गोदीकरण प्रभारों को संशोधित करने के लिए विशाखापत्तनम पत्तन न्यास (वीपीटी) द्वारा दाखिल किए गए प्रस्ताव दिनांक 1 जनवरी 2009 से संबंधित है।

2.1. प्रस्ताव में वीपीटी द्वारा किए गए मुख्य निवेदन नीचे दिए गए हैं:–

(i). वीपीटी के आउटर रिपेयर स्टेशन (ओआरएस) में शुष्क गोदी पत्तन के स्वामित्व वाले पोतों को सेवा प्रदान करने के लिए वर्ष 1933 में निर्मित की गई थी। गोदी में मरम्मतों/गोदी में खड़े किए गए पोतों की जरूरत के लिए 10 टन इलैक्ट्रिक लेवल लफिंग क्रेन उपलब्ध करवाई गई है। यह पत्तन के स्वामित्व वाली पूर्णतः सुसज्जित केवल एक शुष्क गोदी है जो पूरे पूर्व तट में मौजूद है।

(ii). पूर्वकाल में, पत्तन क्राफ्ट के बार–बार खराब होने और आवधिक अनुसूचित शुष्क गोदीकाल की वजह से यह सुविधा फ्लोतिला, नामतः ड्रेजरों, टगों, लाँचों, बार्जों, फ्लोटिंग, क्रेनों आदि के बेहतर रखरखाव के लए पूरे केलेंडर वर्ष में पत्तन स्वामित्व वाले पोतों तक सीमित की गई थी।

(iii). पश्चिम तट पर बहुत कम शुष्क गोदियां होने और मानसून से मांग बढ़ने की वजह से विलंब होता है और पश्चिम तट पर शुष्क गोदीकरण तक सीमित किया जाता है जिससे शुष्क गोदी में स्लॉट के आबंटन के लिए भारतीय नौसेना, तट रक्षक, भौगोलिक सर्वेक्षण, ऑफ शॉर आपूर्ति पोतों आदि से पत्तन पर दबाव चरम पर पहुंच जाता है।

(iv). इसके अलावा, कृष्णा गोदावरी पट्टी में ऑफ शॉर गतिविधि बढ़ने की वजह से शुष्क गोदी की अपेक्षा बहुत बढ़ गई है क्योंकि पूर्व तट में बहुत कम शुष्क गोदियां हैं जो 70 मीटर लम्बाई से अधिक है।

(v). वीपीटी ने 25 अगस्त 2006 को हुई अपनी बोर्ड मीटिंग में पत्तन पोतों की समय–सारणी को प्रभावित किए गए बिना नौसेना/तट रक्षक/प्राइवेट शिपिंग पोतों को व्यवस्थित करने का निर्णय लिया था। यह भी निर्णय लिया गया था कि डिस्ट्रेस में नौसेना, तट रक्षक और पोतों को वरीयता दी जाए।

(vi). वीपीटी का मौजूदा दरमान शुष्क गोदीकरण प्रभार निर्धारित करता है जो 2001 से लागू है और बहुत कम है।

(vii). शुष्क गोदी की अनुरक्षण लागत स्टॉफ प्रभारों, बिजली प्रशुल्क और सामग्रियों की लागत में वृद्धि के कारण असामान्य रूप से बढ़ी है।

(viii). विचाराधीन उपर्युक्त सभी कारकों पर बात करते हुए, वीपीटी ने शुष्क गोदीकरण प्रभारों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया है।

2.2. वीपीटी ने प्रस्तावित गोदी ब्लॉक तैयारी प्रभारों, किराया/प्रभारों, समेकित गोदीकरण और अगोदीकरण प्रभारों और क्रेन प्रभारों के समर्थन में लागत विवरण भेजे हैं। प्रत्येक प्रशुल्क मद के लिए प्रेषित लागत विवरण का सार नीचे दिया गया है:–

(i). **शुष्क प्रखंड तैयार करने के प्रभारः**

(रु0 में)

विवरण	50 मी0 लम्बाई से अधिक के समतल तल पोतों के लिए	50 मी0 लम्बाई से कम के आकृति वाले पोत
कुल वेतन बोनस, एलएससी एवं पीसी सहित	31909.18	54692.43
जोड़ें: 25 प्रतिशत लंबित मजदूरी संशोधन	7977.29	13673.11
जोड़	**39886.47**	**68365.54**
जोड़ें: गोताखोर लागत	4000.00	2000.00
लकड़ी के पलंकों और नेलों की लागत	27250.00	54500.00
गोदी प्रखंड तैयारी के लिए कुल लागत	**71136.47**	**124865.54**
प्रथम स्लैब के लिए प्रस्तावित दर	**70000**	**120000**

(ii). **ओआरएस शुष्क प्रखंड में डॉक किए गए पोत के लिए शुष्क गोदी किराया/विराम प्रभारः**

क्र. सं.	परिसंपत्ति का नाम : (ओआरएस शुष्क गोदी)	कुल (रु0 में)
1.	पूंजी लागत	65000000
	जीवनकाल वर्षों में	75
	कार्यदिवसों की सं. प्रतिवर्ष	310

2.	**निश्चित लागतः**	
(क).	मूल पूंजी लागत पर 16 प्रतिशत की दर से निवेश पर प्रतिलाभ	10400000
(ख).	मूल्यह्रास	866667
	कुल निर्धारित लागत (क)	**11266667**
3.	**परिवर्तनीय लागतः**	
(क).	मूल पूंजी लागत पर 3.33 प्रतिशत की दर से मरम्मतों और नवीकरण	2164500
(ख).	वेतन	1357958
(ग).	प्रबंधन और सामान्य प्रशासन, मद–ख पर व्यय 20.54 प्रतिशत की दर से	278925
(घ).	तेल और ल्यूबरिकेंट्स और अन्य उपभोज्य	732230
(ङ)	बिजली	422960
(च).	मद क, घ और ङ पर 10.27 प्रतिशत की दर से वर्कशाप, भंडार और सामान्य उपरिव्यय	322674
	कुल परिवर्तनीय लागत (ख)	**5279246**
	कुल लागत प्रतिवर्ष (क + ख)	**16545913**
	कुल लागत प्रतिदिन **(16545913 / 310 दिन)**	**53374**
	प्रस्तावित दर प्रतिदिन (रु0 में)	**53350**

(iii). समेकित गोदीकरण ओर अगोदीकरण प्रभारः

(रु0 में)

क्र.सं.	मद	गोदीकरण प्रभार	अगोदीकरण प्रभार
(i).	लेबर प्रभारः		
	(क). बोनस, एलएससी और पीसी सहित वेतन	15345.77	7377.47
	(ख). जोड़ें: 25 प्रतिशत मजदूरी संशोधन	3836.44	1844.36
		19182.21	**9221.78**
	पूर्णांकित करने के पश्चात (क)	**19200**	**9200**
(ii).	गोदी सफाई प्रभारः		
	(क). बोनस, एलएससी और पीसी सहित वेतन	5955.75	5955.75
	(ख). जोड़ें: 25 प्रतिशत लंबित मजदूरी संशोधन	1488.94	1488.94
		7444.69	**7444.69**
	पूर्णांकित करने के बाद (ख)	**7400**	**7400**
(iii).	डिवॉटर प्रभारः		
	(क). पम्पिंग प्रभार 16901.60		--
	(ख). अधिभार 25 प्रतिशत की दर से 4225.50		
	(ग). मीटर प्रभार 2000	21147.50	
	पूर्णांकित करने के बाद (ग)	**21150.00**	--
(iv).	कुल क + ख + ग	**47750**	**16600**
(v).	समेकित प्रभार (47750 + 16600)	64350	
(vi).	अनुसार, समेकित प्रस्तावित प्रभार (रु0 में प्रतिदिन)	64000	

(iv). क्रेन के किराये के लिए प्रभारः

स्टाफ लागत प्रति घंटा	-	रु0 215
बिजली प्रभार	-	रु0 352
किराया प्रभार प्रति घंटा	-	रु0 414
जोड़	-	रु0 **981.05**

प्रस्तावित क्रेन प्रभार प्रति घंटा न्यूनतम रु0 1395/– प्रति घंटा की शर्त पर रु0 981/– प्रस्तावित किए गए हैं।

2.3. सारबद्ध करने के लिए, मौजूदा दरमान की अनुसूची 7.6.1 में निर्धारित शुष्क गोदीकरण प्रभार और प्रस्तावित शुष्क गोदीकरण प्रभार नीचे तालिकाबद्ध किए गए हैं:–

<table>
<tr><th>मौजूदा शुष्क गोदीकरण प्रभार</th><th>प्रस्तावित शुष्क गोदीकरण प्रभार</th></tr>
<tr><td>

अनुसूची 7.6.1.

इकाई प्रतिदिन

<table>
<tr><th>मद</th><th>विवरण</th><th>दर रु0 में</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>पहले दिन</td><td>रु0 27,009.25</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2रें से 14वें दिन तक</td><td>रु0 22,022.95</td></tr>
<tr><td>3</td><td>पन्द्रहवें दिन से और उसके बाद</td><td>रु0 33,034.45</td></tr>
</table>

</td><td>

(i). गोदी प्रखंड तैयारी प्रभारः

<table>
<tr><th rowspan="2">पोत का प्रकार</th><th colspan="3">पोत की लम्बाई</th></tr>
<tr><th>50 मी0 अथवा कम</th><th>50 मी0 से अधिक परन्तु 100 मी0 से कम</th><th>100 मी0 से अधिक</th></tr>
<tr><td>समतल तल</td><td>रु0 70000/-</td><td>रु0 87500/-</td><td>रु0 105000/-</td></tr>
<tr><td>आकृति वाले पोत जैसे तट रक्षक/नौसेना</td><td>रु0 120000-</td><td>रु0 160000/-</td><td>रु0 200000/-</td></tr>
</table>

(ii). ओआरएस गोदी में डॉक किए गए पोत के लिए किराया/विराम प्रभार प्रतिदिनः

<table>
<tr><th>पहले दिन से 14वें दिन तक</th><th>15वें दिन से 30वें दिन तक</th><th>31वें दिन से आगे</th></tr>
<tr><td>रु0 53350/-</td><td>रु0 80000/-</td><td>Rs.106700/-</td></tr>
</table>

(iii). शुष्क गोदी से समेकित गोदीकरण और अगोदीकरण प्रभार – रु0 64000/–

(iv). क्रेन प्रभार – रु0 981/– प्रति घंटा अथवा उसका भाग परन्तु न्यूनतम रु0 1395/–।

(v). प्रखंड स्थानांतरण प्रभार वास्तविकताओं पर।

(vi). स्टॉफ के लिए समयोपरि वास्तविकताओं पर यदि सामान्य कार्य घंटों के बाद गोदीकरण/अगोदीकरण किया जाता है।

(vii). द्वितीय गोदीकरण प्रभार नौसेना और तट रक्षक पोतों के लिए अतिरिक्त वसूल किया जाएगा – रु0 47000/–।

</td></tr>
</table>

3. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार, वीपीटी से प्राप्त प्रस्ताव की प्रति संबद्ध उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियों के लिए अग्रेषित की गई थी। कुछ उपयोक्ताओं ने अपनी टिप्पणियां भेजी हैं। उनसे प्राप्त टिप्पणियां वीपीटी को उनकी टिप्पणियों के लिए प्रतिपुष्टि सूचना के रूप में अग्रेषित की गई थी। वीपीटी ने उपयोक्ताओं की टिप्पणियों पर अपनी टिप्पणियां भेजी हैं।

4. प्रस्ताव की प्राथमिक संवीक्षा के आधार पर, वीपीटी ने विभिन्न बिन्दुओं पर सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का अनुरोध किया है। वीपीटी ने अपना जवाब भेजा है। वीपीटी द्वारा भेजे गए जवाब की जांच करने पर कुछ अन्तर देखे गए थे। तदनुसार, वीपीटी से और अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण भेजने का दोबारा अनुरोध किया गया था। वीपीटी ने अपना जवाब भेजा है। उठाए गए प्रश्नों और वीपीटी द्वारा प्रेषित जवाबों का सार नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:–

क्र.सं.	हमारे द्वारा उठाए गए प्रश्न	वीपीटी द्वारा प्रेषित जवाब
(i).	(क). प्रस्ताव के साथ भेजा गया लागत विवरण दर्शाता है कि वेतन/मजदूरी लागत और प्रबंधन उपरिव्यय महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तावित दरों को प्रभावित कर रही है। यह स्वीकार करना होगा कि वर्ष 2006–07 से 2008–09 के लिए अनुमानित वेतन/मजदूरी और प्रबंधन उपरिव्यय वीपीटी के पिछले प्रशुल्क संशोधन के दौरान पहले भी सुविचारित किए गए थे। इस संबंध में, कृपया स्पष्ट करें कि क्या पत्तन यह सेवा ऑफर करने के लिए कोई अतिरिक्त मैनपावर तैनात करने का प्रस्ताव करता	पत्तन और गोदी सुविधा गतिविधि के अधीन वेतन/मजदूरी और प्रबंधन उपरिव्ययों पर विचार करने के बाद, वर्ष 2006 में दरमान के सामान्य संशोधन के दौरान प्रेषित वर्ष 2006–07 से 2008–09 के लागत विवरण में 8.82 प्रतिशत का कुल घाटा दर्शाया गया था। टीएएमपी द्वारा सुविचारित संशोधित अनुमानों के अनुसार, घाटा 5.82 प्रतिशत है। इसलिए, संशोधन प्रस्तावित किया गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्टॉफ घटक में कोई बदलाव नहीं है, परन्तु मजदूरी संशोधन के

	है। कृपया यह भी सुनिश्चित करें कि संशोधन के लिए देय वीपीटी के दरमान (एसओआर) के सामान्य संशोधन में सुविचारित की जाने वाली लागत मदों में इन लागत तत्वों को दोहराया नहीं गया है।	कारणक वेतनों में संभावित वृद्धि करते समय लागत तत्वों को दोहराया नहीं जाएगा। वास्तव में, शुष्क गोदीकरण प्रभार का प्रस्तावित संशोधन पत्र दिनांक 1 अप्रैल 2009 द्वारा टीएएमपी को भेजे गए दरमान के सामान्य संशोधन के प्रस्ताव में पहले से शामिल किया गया है।
	(ख). वेतनों और मजदूरी लागत के 25 प्रतिशत पर मजदूरी संशोधन के प्रभाव पर विचार करने का आधार स्पष्ट करें। यह देखा जाए कि प्राधिकरण ने वीपीटी, न्यू मेंगलूर पत्तन न्यास और अन्य महापत्तनों के दरमान के पिछले सामान्य संशोधन में कुल मजदूरी लागत के 15 प्रतिशत पर मजदूरी संशोधन के प्रावधान को स्वीकार किया था।	मजदूरी संशोधन के लिए 15 प्रतिशत का प्रावधान यह मानते हुए 2005 में दरमान प्रस्तुत करते समय सुविचारित किया गया था कि वेतनों में केवल 15 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए छठे वेतन आयोग के अनुसार, वर्तमान वेतनों में 30 प्रतिशत से ज्यादा वृद्धि की गई है। इसलिए, 25 प्रतिशत के मजदूरी संशोधन में बढ़ोतरी उसी के अनुसार पत्तनों के लिए भी परिकल्पित की गई है।
(ii).	गोदी प्रखंड तैयारी प्रभारः	
	(क). प्रस्तावित गोदी प्रखंड तैयारी प्रभारों की वसूली के सामने प्रदत्त की जाने वाली सेवाओं का ब्योरा स्पष्ट करें।	पोत की गोदी में खड़ा करने से पहले, कील प्रखंडों/बिल्ज प्रखंडों/साइड प्रखंडों को गोदीकरण योजना के अनुसार पोत ढांचे के समर्थन के लिए व्यवस्थित किए जाने हैं। यह पोत के अंडरवॉटर हल की आकृति और पोत के आकार पर निर्भर करता है।
	(ख). पोतों के विभिन्न प्रकारों के लिए भिन्न–भिन्न प्रशुल्क प्रस्तावित के कारण स्पष्ट करें।	पोत के आकार और पोत के अंडरवॉटर हल की आकृति पर निर्भर करते हुए, उपयोग किए जाने वाले प्रखंडों की संख्या भिन्न होगी। तट रक्षक पोतों के मामले में, हल की अंडरवॉटर आकृति विभिन्न कारणों से व्यावसायिक पोतों से बहुत भिन्न है। इसलिए आकृति वाले पोतों/तट रक्षक पोतों के लिए गोदी प्रखंड तैयारी को तैयार करने में ज्यादा दिन लगते हैं। इसलिए, विभिन्न प्रभार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं कि पत्तन इसे तैयार करने में लगे समय से नुकसान की स्थिति में नहीं है।
	(ग). विषय प्रस्ताव के अनुलग्नक–IV में गोताखोरों की लागत और लकड़ी के प्लंकों और नेलों की लागत का अनुमान लगाने का आधार भेजें और इन सेवाओं के लिए पत्तन द्वारा प्रोद्भूत की गई वास्तविक लागत के संदर्भ में औचित्य बताएं।	लकड़ी के वेज़ों/प्लंकों हील/बिल्ज/साइड प्रखंडों की चोरी पर उपयोग किए जाते हैं। हल की अंडरवॉटर आकृति को सूट करने के लिए वेज़ों को काटना होगा। इन लकड़ी के प्लंकों/वेज़ों को नेलों आदि के स्थान पर लगाना होगा। इन लकड़ी प्लंकों/वेज़ों का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि वे ज्यादातर मामलों में कम्प्रेसड अथवा टूट जाते हैं। वीपीटी शुष्क गोदी में रबड़ की सीलिंग वाले परंपरागत प्रकार के गेट हैं। प्रायः इन सिलिंगों के माध्यम से कुछ लीक होंगे। गोताखोरों से अपेक्षा की जाती है कि दरारों को बन्द करने के लिए समुद्र की ओर से कोकिंग की जाए। कोकिंग के कलिए अपेक्षित समय दरारकी मात्रा पर निर्भर करता है। इस मामले में औसत ली गई थी।
(iii).	किराया प्रभारः	
	(क). (i). पुष्टि करें कि क्या ओआरएस शुष्क गोदी अचल परिसंपत्तियों के वर्तमान प्रखंड में नया संवर्धन है। यदि हाँ, तो पत्तन द्वारा व्यय किए गए पूंजी लागत का दस्तावेजी साक्ष्य और इस परिसंपत्ति को शुरू करने की तारीख भेजें।	ओआरएस शुष्क गोदी को परंपरागत रूप से आंतरिक हारबर की शुष्क गोदी कहा जाता है, यह अचल परिसंपत्तियों के वर्तमान प्रखंड में नया संवर्धन नहीं है। उक्त परिसंपत्ति के शुरू होने का वर्ष 1950 है।
	(ii). अस्थाई वार्षिक लेखों 2008–09 में यथा प्रतिवेदित 31 मार्च 2009 को ओआरएस शुष्क गोदी से संबंधित सकल और निवल अचल परिसंपत्तियां दर्शाएं। पुष्टि करें कि निवेश पर प्रतिलाभ लागत गणना में 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार निवल अचल परिसंपत्तियों पर परिकलित किया गया है।	अभिलेखों के अनुसार 31 मार्च 2009 को ओआरएस शुष्क गोदी से संबंधित निवल अचल परिसंपत्तियां रु0 10694055/– है। तथापि, ओआरएस शुष्क गोदी का रिइनस्टेटिड मूल्य वर्ष 2007–08 में मै0 जाडन एंड कं0 द्वारा प्रस्तुत की गई परिसंपत्ति मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर रु0 6.50 करोड़ सुविचारित किया गया था। इसलिए निवेश पर प्रतिलाभ भी इसपर सुविचारित किया गया है।
	(ख). पुष्टि करें कि भारी परिसंपत्ति पर मूल्यह्रास 2005 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी अधिनियम 1956 में निर्धारित जीवनकाल प्रतिमानकों के अनुसार सुविचारित किया	परिसंपत्ति का जीवनकाल वार्षिक मूल्यह्रास की गणना के प्रयोजन के लिए मंत्रालय द्वारा निर्धारित 75 वर्ष सुविचारित किया गया है। मूल्यह्रास स्ट्रेट लाइन पद्धति पर परिकलित

<table>
<tr><td></td><td>गया है। उक्त अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का संदर्भ भी दें।</td><td>किया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग). (i). प्रस्तावित दर पर पहुंचने के लिए अन्य मदों जैसे मरम्मतें और नवीकरण, वेतन, प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय, ऑयल और ल्यूबरिकेंट्स, बिजली और वर्कशा, भंडार और सामान्य उपरिव्ययों का अनुमान लगाने का आधार स्पष्ट करें।</td><td>तेल, ल्यूबरिकेंट्स, बिजली और अन्य उपभोज्य शुष्क गोदी प्रचालित करने के लिए वास्तव में व्यय की गई राशि के आधार पर अनुमानित किए गए हैं। मरम्मतों और नवीकरण+तेलों+बिजली की लागत के 10.27 प्रतिशत पर सुविचारित पूंजी लागत और वर्कशाप, भंडारों और सामान्य उपरिव्ययों के 3.3 प्रतिशत पर सुविचारित मरम्मतों और नवीकरण की तुलनीय लागत विभिन्न पत्तन उपस्कर के लिए किराया प्रभार निर्धारित करने के लिए अनुसरित दृष्टिकोण के अनुसार है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ii). लागत गणना में सुविचारित मरम्मत और अनुरक्षण लागत पिछले दो वर्षों 2007–08 और 2008–09 में इस सेवा विशेष के लिए पत्तन द्वारा व्यय की गई वास्तविक मरम्मत और अनुरक्षण लागत के संदर्भ में औचित्य बताएं। सुनिश्चित करें कि पिछले दो वर्षों में किया गया एक बार का प्रमुख मरम्मतों और अनुरक्षण का व्यय, यदि कोई हो, अलग–से दर्शाया गया था और लम्बी समयावधि में प्रभाजित किया गया था।</td><td>पिछले 2 वर्षों के लिए व्यय किए गए एक बार के मरम्मतों और अनुरक्षण लागतों को नीचे दर्शाया गया है:–
<table>
<tr><td>i.</td><td>कील प्रखंड प्राप्ति (2009)</td><td>रु016,66,000</td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>शुष्क गोदी पम्प हाऊस और शुष्क गोदी में विशेष मरम्मतें (सिविल कार्य)
2007-08
2008-09</td><td>रु0 2,96,374
रु0 19,89,230</td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>शुष्क गोदी पम्प पुर्जे</td><td>रु0 26,43,939</td></tr>
<tr><td></td><td>जोड़</td><td>रु0 65,95,543</td></tr>
</table>
उपर्युक्त व्यय को 3 वर्षों की अवधि में प्रभाजित करने पर यह रु0 2198514/– होता है। उक्त प्रभाजित व्यय के अलावा, खर्च किए गए नियमित आर एंड एम व्यय वर्ष 2007–08 के लिए रु0 50,000/– और वर्ष 2008–09 के लिए रु0 45,000/– है। इसलिए, पूंजी लागत अर्थात रु0 21,64,500/– पर 3.3 प्रतिशत की दर से आर एंड एम व्ययों के लिए लागत विवरण में उल्लिखित राशि तर्कसंगत है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii). सामान्य उपरिव्यय, भंडार आदि इस मद को मरम्मतों और नवीकरणों जमा तेल जमा बिजली के प्रतिशत रूप में अनुमान लगाने की बजाय पिछले दो वर्षों के दौरान ओआरएस शुष्क गोदी के लिए किए गए वास्तविक व्यय के आधार पर अनुमानित करें।</td><td>पिछले 2 वर्षों के लिए वास्तविक रूप से किए गए भंडार व्यय रु0 1344416/– है जबकि लागत विवरण में यह वर्कशाप भंडारों और सामान्य उपरिव्ययों के लिए 10.27 प्रतिशत लागू करते हुए केवल रु0 322674/– सुविचारित किया गया है। शुष्क गोदी में शुष्क गोदी प्रचालित करने के लिए वास्तव में व्यय की गई राशियों के आधार पर लेखा में लिए गए निर्धारित लागत और तुलनीय लागतें, तेल, ल्यूबरिकेंट्स, बिजली और अन्य उपभोज्य शामिल हैं। विभिन्न पत्तन उपस्कर के लिए किराया प्रभार निर्धारित करने के लिए यथा अनुसरित मरम्मतों और नवीकरणों+तेलों+बिजली की लागत पर 10.27 प्रतिशत पर सुविचारित पूंजी लागत और वर्कशाप, भंडारों तथा सामान्य उपरिव्ययों पर 3.3 प्रतिशत पर सुविचारित मरम्मतों और नवीकरणों की परिवर्तनीय लागत पर सुविचारित किया गया है।
इसलिए, सामान्य उपरिव्यय, भंडार आदि ऊपर यथा उल्लिखित प्रतिशत रूप में लिए गए हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td>(घ). इस गतिविधि के लिए विनियुक्त कर्मचारी घंटों की संख्या और उसकी औसत वेतन लागत का ब्रेकअप देते हुए गोदी किराया प्रभारों के लिए रु0 13.58 लाख पर अनुमानित वेतन का विस्तृत परिकलन भेजें।</td><td>ओआरएस शुष्क गोदी और फिशिंग हारबर शुष्क गोदी दोनों के लिए शुष्क गोदीकरण सुविधाओं हेतु विनियुक्त स्टॉफ 10 है। इसलिए, स्टॉफ वेतनों का 50 प्रतिशत ओआरएस शुष्क गोदी के लिए प्रभाजित किए गए हैं। जरूरी गणना पत्रक भेजा गया है।</td></tr>
<tr><td>(iv).</td><td>क्रेन प्रभार:</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>(क). वीपीटी का दरमान 10 टन इलैक्ट्रिक लेवल लफिंग</td><td>दरमान में यथा निर्धारित क्रेन किराया प्रभार दर अर्थात रु0</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>(ईएलएल) क्रेन के लिए रु0 414 प्रति घंटा किराया प्रभार निर्धारित करता है। प्रस्ताव से ऐसा लगता है कि पत्तन मौजूदा 10 टन ईएलएल क्रेन तैनात करेगा। तथापि, पत्तन ने क्रेन प्रभारों के रूप में रु0 981 प्रति घंटा की भिन्न दर प्रस्तावित की है। इसी क्षमता की क्रेन के लिए भिन्न दर प्रस्तावित करने का कारण स्पष्ट करें।</td><td>414/– प्रति घंटा पर विचार किया गया है और उक्त क्रेन के प्रचालन के लिए स्टॉफ लागत और बिजली प्रभारों पर भ्झी विचार किया गया है।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख). सामान्यतः, क्रेन की प्रचालन लागत अर्थात स्टॉफ लागत, बिजली लागत, मूल्यह्रास आदि पर उपस्कर का किराा प्रभार निर्धारित करते समय विचार किया गया है। इस संदर्भ में, कृपया पुष्टि करें कि वर्तमान दरमान में निर्धारित किराया प्रभार में उक्त क्रेन के संदर्भ में स्टॉफ लागत और बिजली लागत शामिल नहीं है।</td><td>दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव से पहले निर्धारित क्रेन किराया प्रभारों के लिए प्रभार पर विचार किया गया है। दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव अग्रेषित करते समय, वीपीटी ने क्रेन किराया प्रभारों में वृद्धि करने का निर्णय नहीं लिया था और इसलिए यह सूचित किया जाता है कि क्रेन किराया प्रभार वर्तमान दरमान के अनुसार अर्थात न्यूनतम रु0 828/– की शर्त पर रु0 414/– प्रति घंटा होंगे।</td></tr>
<tr><td>(v).</td><td>वे सेवाएं स्पष्ट करें जो पत्तन प्रस्तावित प्रखंड स्थानांतरण प्रभारों के अधीन उपलब्ध करवाएगा। पत्तन वास्तविक आंकड़ों के आधार पर लेवी प्रस्तावित करने की बजाय सेवा उपलब्ध करवाने की लागत के आधार पर इस सेवा के लिए विशिष्ट दर प्रस्तावित करने पर विचार करें। यह प्रश्न दोबारा दोहराया गया था।</td><td>प्रखंड स्थानांतरण केवल कुछ मामलों में अपेक्षित है। यह अपेक्षा की गई है कि जब कभी पोतों को तल पेंटिंग की आवश्यकता हो ओर प्रखंड स्थानांतरण की संख्या पोत और अपेक्षा पर निर्भर करती है। इसलिए, विशिष्ट दर प्रस्तावित नहीं की जा सकती क्योंकि साइड/बिल्ज/कील प्रखंडों के स्थानांतरण में शामिल कार्य भिन्न हैं।</td></tr>
<tr><td>(vi).</td><td>(क). नौसेना और तट रक्षक पोतों के लिए रु0 47000/– पर अतिरिक्त गोदीकरण प्रभार प्रस्तावित करने के कारण स्पष्ट करें।</td><td>तट रक्षक पोत प्रायः दूसरे गोदीकरण के लिए अनुरोध करते हैं। उससे गोदी में फल्डिंग होती है और पोत को कुछ मीटरों तक स्थानांतरण करना पड़ता है और उन्हें दोबारा नए प्रखंडों पर रखना पड़ता है। इसलिए, अतिरिक्त प्रभार प्रस्तावित किए गए हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख). इस संबंध में शामिल अतिरिक्त लागत के संदर्भ में नौसेना और तट रक्षक पोतों के लिए अतिरिक्त गोदीकरण प्रभारों के लिए प्रस्तावित दर रु0 47000/– के समर्थन में विस्तृत लागत गणना भेजें।</td><td>नौसेना और तट रक्षक पोतों के लिए 2रें संस्करण गोदीकरण के लिए विस्तृत लागत गणना नीचे दी गई हैः–
<table>
<tr><td>(क).</td><td>लेबर प्रभार</td><td>रु019,000/-</td></tr>
<tr><td>(b).</td><td>गोदी सफाई प्रभार</td><td>रु0 7,000/-</td></tr>
<tr><td>(c).</td><td>पानी बाहर निकालने के प्रभार</td><td>रु0 21,000/-</td></tr>
<tr><td></td><td>जोड़</td><td>रु0 47,000/-</td></tr>
</table>
तथापि, पत्तन ने पत्र दिनांक 6 जून 2009 द्वारा वीएसआरए की टिप्पणियों पर टिप्पणियां भेजते समय उल्लिखित किया था कि नौसेना और तट रक्षक पोत के लिए प्रस्तावित अतिरिक्त गोदीकरण प्रभार प्रथम गोदीकरण प्रभारों के 50 प्रतिशत पर वसूल किया जाएगा और अपेक्षित सामग्री प्रथम संस्करण गोदीकरण की तुलना में कम होगा।</td></tr>
<tr><td>(vii).</td><td>(क). तीन वर्षों 2009–10, 2010–11 और 2011–12 के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क मदों से प्रोद्भूत होने की संभावना वाला अतिरिक्त राजस्व भेजें।</td><td>यह बताया गया है कि केवल वर्ष 2008–09 के दौरान 4 बाह्य पोत मरम्मतों के लिए गोदी में खड़े किए गए थे। तथापि, शुष्क गोदी सामान्यतः पत्तन क्रॉफ्टों के लिए उपयोग की जा रही है और उपलब्धता पर बाह्य पोतों को दी जाएगी। दरों में उपर्युक्त और प्रस्तावित वृद्धि पर विचार करते हुए, राजस्व लागत विवरण में रु0 32.00 लाख वार्षिक पर अनुमानित किए गए थे।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ख). वे अवसर दर्शाएं जब शुष्क गोदी सुविधाएं वर्ष 2006–07, 2007–08 और 2008–09 में बाह्य पोतों द्वारा प्राप्त की गई थी।</td><td>निजी पोतों द्वारा प्राप्त की गई शुष्क गोदी सुविधा के अवसर 2006–07 में 8, 2007–08 में 4 और 2008–09 में यह 10 पोत हैं।</td></tr>
<tr><td></td><td>(ग). वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान शुष्क गोदीकरण सुविधाएं प्राप्त करने की संभावना वाले पोतों का अनुमान भेजें।</td><td>वर्ष 2009–10 से 2011–12 के दौरान शुष्क गोदीकरण सुविधाएं प्राप्त करने की संभावना वाले पोतों की अनुमानित संख्या 18 (6 पोत प्रतिवर्ष) है।</td></tr>
<tr><td>(viii).</td><td colspan="2">अनुलग्नक–II गोदीकरण/अगोदीकरण प्रभार में दी गई लागत गणना</td></tr>
<tr><td></td><td>(क). गोदीकरण/अगोदीकरण प्रभारों से संबंधित अनुलग्नक– II में गोदीकरण/अगोदीकरण/सफाई गतिविधि के लिए लेबर लागत के अनुमानन के लिए सुविचारित मूल्यवर्गक 26 दिन है।</td><td>गोदी प्रखंड आदि तैयार करने के लिए अनुलग्नक–II और III में सुविचारित मूल्यवर्गक 30 दिन है क्योंकि वेतन मासिक आधार पर देय है। तथापि, अनुलग्नक– I में शुष्क गोदी</td></tr>
</table>

	जबकि शुष्क प्रखंड तैयारी प्रभारों संबंधी अनुलग्नक– III में, प्रतिदिन लेबर लागत पर पहुंचने के लिए सुविचारित मूल्यवर्गक 30 दिन है। वीपीटी द्वारा प्रेषित उक्त दो गणनाओं में लेबर लागत का अनुमान लगाने के लिए ऐसी भिन्नता के कारण स्पष्ट करें।	किराया प्रभार निर्धारित करते समय, गोदी के कार्यदिवसों की सं. रविवारों के अलावा 310 दिन सुविचारित की गई थी।
	(ख). पानी निकलाने की गतिविधि के लिए शुष्क गोदी में तैनात किए गए पम्पों द्वारा पिछले दो वर्षों 2007–08 और 2008–09 में बिजली का औसत वास्तविक उपभोग दर्शाएं।	ओआरएस शुष्क गोदी में पानी निकालने के दौरान वास्तविक बिजली उपभोग 1 महीने की अवधि के लिए रिसाव जल, पानी निकालने सहित पोत के लिए लगभग 5600 एचडब्ल्यूएच (इकाईयां) हैं। औसत बिजली उपभोग वर्ष 2007–08 के लिए 55000 केडब्ल्यूएच और वर्ष 2008–09 के 65000 केडब्ल्यूएच है।
	(ग). वीपीटी द्वारा बहुउद्देशीय कार्गो टर्मिनल और लिक्विड कार्गो टर्मिनल के अपफ्रंट प्रशुल्क के निर्धारण में अंगीकृत बिजली की इकाई दर रु0 6.20 है। बिजली की उक्त इकाई दर में कोई अन्य लागत तत्व नहीं जोड़े गए हैं। जबकि, शुष्क गोदीकरण प्रभारों के संशोधन के लिए प्रेषित लागत विवरण में, वीपीटी द्वारा सुविचारित बिजली की इकाई दर, 6.20+0.06 ईडी और 25 प्रतिशत अधिभार है। वर्तमान प्रस्ताव में बिजली लागत का अनुमान लगाने के लिए भिन्न दर अंगीकृत करने के कारण स्पष्ट करें और प्रासंगिक बिजली बिल की प्रति से प्रमाणित करें। मीटर प्रभार निश्चित व्यय है। इस गतिविधि के लिए मीटर लागत संबंधी रु0 20 आबंटित करने का आधार भी स्पष्ट करें।	ईडी और अधिभार शामिल करने का कारण – शुष्क गोदी में बिजली उपभोग मॉनीटर करने के लिए पृथक मीटर संस्थापित किया गया था और इसलिए, पोत स्वामी को बिजली उपभोग और रु0 20/– के मीटर प्रभार के अलावा ईडी अधिभार वहन करना होगा। इसलिए, इन्हें बीओटी प्रचालक की अपफ्रंट प्रशुल्क गणना के लिए सुविचारित नहीं किया गया था। वीपीटी द्वारा सुविचारित प्रशुल्क के निर्धारण हेतु बिजली की इकाई दर प्रशुल्क दरों, एलटी श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई आपूर्ति के उपभोक्ताओं के लिए आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कार्पोरेशन लि0 की निबंधन एवं शर्तों अर्थात रु0 6.20 की दर से इकाई लागत+बिजली डयूटी के लिए 0.06 ओर कम बिजली (अथवा) केपेसिटर के गैर–संस्थापन के लिए 25 प्रतिशत अधिभार पर आधारित है (तेलुगु भाषा में बिजली प्रशुल्क की प्रति भेजी गई है)।
(ix).	प्रस्तावित प्रशुल्क मदों की प्रत्येक मद को प्रोद्भूत करने की संभावना वाली अतिरिक्त आय वर्तमान प्रशुल्क स्तर पर आय और प्रस्तावित प्रशुल्क स्तर पर आय की विस्तृत गणना, सेवाएं प्राप्त करने वाले पोतों की संख्या, घंटों की संख्या जब सेवा प्राप्त की जाती है, आदि के साथ वर्ष 2009–10 से 2011–12 के लिए भेजें।	वर्ष 2008–09 के दौरान, 10 बाह्य पोत मरम्मतों के लिए गोदी में खड़े किए गए थे। तथापि, शुष्क गोदी सामान्यतः पत्तन क्रॉफ्टों के लिए उपयोग की जा रही है और उपलब्धता पर बाह्य पोतों को दी जाएगी। वर्ष 2009–10 से 2011–12 के लिए संभावित पोत लगभग 6 पोत प्रतिवर्ष होगी। वर्ष 2006–07 से 2008–09 के लिए तैयार किया गया लागत विवरण वास्तविकताओं पर आधारित है और वर्ष 2009–10 से 2011–12 के लिए प्रस्तावित दरें भेजी गई हैं। प्रस्तावित दरों पर भी शुष्क गोदी गतिविधि घाटा दर्शाती है। चूंकि मुख्यतः वीपीटी क्रॉफ्टों के लिए शुष्क गोदी सेवा प्रदान करती है, इसलिए घाटा वीपीटी द्वारा आमेलित किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

5. इस मामले में संयुक्त सुनवाई 22 अक्तूबर 2009 को वीपीटी परिसर में आयोजित की गई थी। संयुक्त सुनवाई में, वीपीटी और कुछ उपयोक्ताओं ने अपने निवेदन प्रस्तुत किए थे।

6.1. संयुक्त सुनवाई में लिए गए निर्णय के अनुपालन में, वीपीटी ने और स्पष्टीकरण/औचित्य भेजे हैं जिन्हें नीचे सारबद्ध किया गया है:–

(i). 3 वर्षों की अवधि के लिए एमजीए प्रतिशत की औसत को लेखा में लेते हुए एमजीए पर विचार किया गया है। एमजीए की गणना के लिए प्रक्रिया निम्नवत् है:–

पत्तन का कुल प्रचालन व्यय (क)	xxx
घटाएं एमजीए (मजदूरी संशोधन के लिए प्रावधान अतिरिक्त (ख)	xxx -------
निवल प्रचालन व्यय (ग)	**xxx**
इंजीनियरिंग और वर्कशाप उपरिव्यय (घ)	xxx
भंडार रखरखाव (ङ)	xxx
अन्य सामान्य उपरिव्यय (च)	xxx -------

कुल एमजीए {घ+ङ+च} (छ)	**xxx**
प्रचालन व्यय में सामान्य एमजीए का % {छ/ग}	xxx (लागत पत्रक में वेतन घटक पर लागू)
प्रचालन व्यय में वर्कशाप, इंजीनियरिंग एवं भंडार उपरिव्ययों का % {(घ+ङ)/ग}	xxx (आर एंड एम, बिजली और भंडारों उपभोज्यों पर लागू)

(ii). यह एमजीए उपरिव्ययों और वर्कशाप तथा भंडारों के लिए पृथक उपरिव्यय वसूली दरों से स्पष्ट है। उपरिव्यय निर्धरित किए गए थे और प्रत्यक्ष व्यय घटकों जैसे वेतन, आर एंड एम पुर्जे, ईंधन और अन्य उपभोज्य भंडारों पर अलग–से लागू किए गए थे। इसलिए, दावा कि उपरिव्यय वसूली दरें दोगुनी लागू करना सही नहीं है जैसाकि महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण द्वारा राय व्यक्त की गई है पिछले 3 वर्षों के लिए एमजीए गणना संलग्न है।

(iii). समयोपरि प्रभारों के संबंध में यह बताया गया है कि वीपीटी शुष्क गोदी केवल सामान्य पारी में कार्य करती है और सामान्य पारी अर्थात सोमवार से बृहस्पतिवार 07.00 से 16.30 बजे तक, शुक्रवार को 07.00 बजे से और रविवार को 07.00 बजे से 12.00 बजे तक और स्टॉफ का संख्या, तदनुसार, केवल एकल पारी के लिए बनाए रखी गई है। औद्योगिक नियमावली/फैक्टरी अधिनियम के अनुसार रविवार अवकाश दिवस/साप्ताहिक छुट्टी है। इसलिए, उपयोक्ताओं के अनुरोध पर सामान्य पारी घंटों के बाद स्टॉफ को काम पर लगाए जाने की आवश्यकता पड़ती है तो स्टॉफ को भुगतान किया गया समयोपरि प्रभार उपयोक्ताओं से वास्तविकताओं पर वसूल किए जाएंगे।

(iv). 2रें गोदीकरण प्रभारों के संबंध में, यह बताया गया है कि रु0 47000/– की दर और इसका ब्रेकअप निम्नवत् हैंः–

लेबर प्रभार	–	रु0 19200
गोदी सफाई प्रभार	–	रु0 7400
पानी निकालने के प्रभार	–	रु0 21150
कुल	–	रु0 47750

तथापि, वीपीटी पत्र सं. एफए/लागत/शुष्क गोदीकरण/37 दिनांक 27 जुलाई 2009 द्वारा उपर्युक्त रु0 47000/– की बजाय केवल प्रथम गोदीकरण प्रभारों का 50 प्रतिशत वसूल करने के लिए अपनी स्वीकृति पहले ही संप्रेषित कर चुका है।

(v). क्रेन किराया प्रभारों के संबंध में, वीपीटी प्रस्तावित दरों की बजाय दोबारा भेजे गए दरमान में यथा मौजूद इन्हीं दरों के लिए सहमत है।

6.2. तत्पश्चात, वीपीटी ने प्रखंड तैयारी से रु0 0.70 लाख और प्रशुल्क के प्रस्तावित स्तर पर अर्जित किए जाने वाले किराये से 30 32.33 लाख प्रतिवर्ष की अतिरिक्त आय दर्शाई है।

7. इस मामले में परामर्श संबंधी कार्यवाहियां इस प्राधिकरण के कार्यालय में अभिलेखों में उपलब्ध हैं। प्राप्त हुई टिप्पणियों का सार प्रासंगिक पक्षों को अलग–से भेजा जाएगा। ये ब्योरे हामरी वेबसाइट http://tariffauthority.gov.in पर भी उपलबध करवाए जाएंगे।

8. इस मामले की कार्यवाही के दौरान एकत्र की गई समग्र सूचना के संदर्भ में, निम्नलिखित स्थिति प्रकट होती हैः–

(i). पत्तन ने बताया है कि शुष्क गोदीकरण सुविधा शुरू में पत्तन के स्वामित्व वाले पोतों तक सीमित थी। तथापि, चूंकि शुष्क गोदीकरण सुविधा को अन्य पोतों तक बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है और शुष्क गोदी की अनुरक्षण लागत बढ़ गई है, इसलिए पत्तन संदर्भित प्रस्ताव लेकर आया है। वीपीटी के दरमान में निर्धारित वर्तमान शुल्क गोदीकरण प्रभार पिछली बार 2001 में संशोधित किया गया संदर्भित प्रस्ताव में, पत्तन ने न केवल मौजूदा शुल्क गोदीकरण किराया प्रभारों का ऊध्वर्मुखी संशोधन प्रस्तावित किया है अपितु कुछ नए प्रभार भी प्रस्तावित किए हैं।

(ii). यह उल्लेखनीय है कि 2006 में वीपीटी के प्रशुल्क के पिछले सामान्य संशोधन के दौरान, हालांकि समग्र पत्तन अधिशेष स्थिति दर्शाता है, पत्तन और गोदी सुविधा जिसके अंतर्गत शुष्क गोदी गतिविधि के परिणाम लिए गए हैं, 5.82 प्रतिशत का घाटा दर्शाया था। हालांकि शुष्क गोदी गतिविधि के लिए लागत स्थिति अलग–से निर्धारित नहीं की गई थी, परन्तु इस गतिविधि से प्रतिवेदित आय शुष्क गोदी सेवा के लिए अनुमानित व्यय की तुलना में नगण्य थी। विभिन्न गतिविधियों और उप–गतिविधियों के बीच प्रति–सहायिकीकरण के प्रवाह को स्वीकार करते हुए, वीपीटी के प्रशुल्क में ऊध्वर्मुखी संशोधन नहीं किय गया था, सिवाय प्रशुल्क ढांचे के युक्तिकरण के लेखा पर कुछ प्रभारों के। शुष्क गोदी प्रभारों के पुनः निर्धारित करने पर उस स्थिति में जोर नहीं दिया गया था क्योंकि यह सुविधा शुरू में केवल पत्तन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए थी। प्रति–सहायिकीकरण का लाभ सामान्यतः उसी उपयोक्ता समूहों में रहेगा। शुष्क गोदियों के अब अन्य पोतों के लिए भी इस्तेमाल किए जाने की वजह से, यदि प्रशुल्क शोधन नहीं किया जाता है तो शुष्क गोदी उपयोक्ताओं का विशेष हिस्सा अन्य उपयोक्ता समूहों की लागत पर लाभ प्राप्त करेगा।

(iii). वीपीटी ने शुष्क गोदीकरण गतिविधि के लिए पृथक लागत विवरण भेजा है और पुष्टि की है कि लागत विवरण में लागत तत्वों को दोहराया नहीं गया है। तथापि, वीपीटी द्वारा किए गए दावे को सत्यापित करना मुश्किल है कि जब

ऐसे विवरण की अलग–से जांच की जाती है और पत्तन प्रशुल्क के हिस्से के रूप में बृहत रूप से सामान्य संशोधन नहीं किया गया है। इसके अलावा, लागत विवरण की जांच करने पर, यह पाया गया है कि शुष्क गोदीकरण गतिविधि के अंतर्गत अलग–अलग सेवाओं के लिए पत्तन द्वारा अनुमानित व्ययों की राशि शुष्क गोदी गतिविधि के लिए लागत विवरण में प्रतिवेदित समेकित व्ययों से मेल नहीं खाती है। शायद अन्तर हो सकता है क्योंकि समग्र शुष्क गोदीकरण गतिविधि में फिशिंग हारबर में शुष्क गोदीकरण भी शामिल है जिसे वर्तमान प्रस्ताव में नहीं लिया गया है। शुष्क गोदी गतिविधि के लिए समेकित विवरण और वैयक्तिक सेवाओं के लिए प्रस्तुत किए गए लागत विवरण के बीच कोई अंर्तसंबंध नहीं है, इसलिए शुष्क गोदीकरण गतिविधि के लिए पत्तन द्वारा प्रेषित लागत विवरण किसी प्रयोजन को पूरा नहीं करता है। प्रस्तावित दरों के समर्थन में पत्तन द्वारा प्रेषित आंतरिक हारबर में शुष्क गोदीकरण के अधीन वैयक्तिक सेवाओं के लिए पृथक लागत गणना इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए सुविचारित की गई है।

(iv). प्रत्येक मद के लिए प्रस्तावित दर के समर्थन में वीपीटी द्वारा प्रेषित लागत गणनाएं नीचे विश्लेषित की गई हैं:–

(क). गोदी किराया/विराम प्रभारः

ओआरएस शुष्क गोदी में डॉक किए गए पोत के लिए प्रभारित वर्तमान किराया/विराम प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि लगभग 142 प्रतिशत है। वीपीटी ने पोत के विराम से पहले दिन से 14वें दिन तक रु0 53350/– प्रतिदिन की प्रस्तावित दर के समर्थन में लागत पत्रक प्रेषित किया है। प्रस्तावित दर पर पहुंचने के लिए, वीपीटी ने शुष्क गोदी की पूंजी लागत को दोहराया है। प्रचालन व्यय जैसे मरम्मत, मूल्यह्रास और प्रतिलाभ दोहराए गए मूल्य के आधार पर परिकलित किए गए हैं। यह उल्लेखनीय है कि शुष्क गोदी पत्तन द्वारा यथा प्रतिवेदित, 1950 से मौजूद है। यह उल्लेखनीय है कि प्रशुल्क दिशानिर्देशों द्वारा स्वीकृत लागत जमा दृष्टिकोण परिसंपत्ति के लिखित मूल्य पर विचार करने की अपेक्षा करता है। 31 मार्च 2009 को रु0 1.07 करोड़ पर पत्तन द्वारा प्रतिवेदित शुष्क गोदी परिसंपत्ति के निवल मूल्य पर विचार किया गया है। तदुनसार, 16 प्रतिशत की दर से परिसंपत्ति पर प्रतिलाभ और मूल्यह्रास परिसंपत्ति के लिखित मूल्य पर परिगणित किया गया है। प्रचालन लागतों में किए गए अन्य संशोधनों पर नीचे चर्चा की गई है:–

(i). वीपीटी ने परिसंपत्ति के पुनः उल्लिखित पूंजी मूल्य पर 3.33 प्रतिशत लागू करते हुए रु0 21.65 लाख मरम्मत लागत का अनुमान लगाया है। अनुमानित मरम्मत व्ययों को तर्कसंगत ठहराने के लिए, वीपीटी ने बताया है कि शुष्क गोदी गतिविधि के लिए नियमित मरम्मत व्यय वर्ष 2008–09 के दौरान रु0 45000/– रहा है। इसके अलावा, वीपीटी ने बताया है कि वर्ष 2007–08 और 2008–09 के दौरान किए गए एकमुश्त मरम्मत व्यय राशि रु0 65.95 लाख 3 वर्षों की अवधि में प्रभाजित किए गए हैं और मरम्मत लागत के हिस्से के रूप में सुविचारित किया गया है।

वीपीटी ने एकमुश्त व्ययों को केवल 3 वर्षों की अवधि में प्रभाजित किए जाने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। परिकल्पित करते हुए कि एकमुश्त मरम्ममतों से होने वाले लाभ लम्बी समयावधि के लिए होगा और यह भी परिकल्पित करते हुए कि पत्तन को प्रत्येक पांच वर्षों में एक बार इसी तरह के एक बार के व्यय करने होंगे, इसलिए वीपीटी द्वारा प्रेषित एक बार की मरम्मत लागत 5 वर्षों की अवधि में प्रभाजित की गई है। वर्ष 2008–09 के लिए वास्तविक मरम्मत लागत में वर्ष 2009–10 के लिए नियमित मरम्मत लागत पर पहुंचने के लिए (वर्ष 2009–10 के दौरान सुविचारित वृद्धि कारक के आधार पर) 5.8 प्रतिशत तक वृद्धि की गई है। तदनुसार, कुल अनुमानित मरम्मत लागत रु0 13.67 लाख परिगणित की गई है।

(ii). अनुमानित वेतन और मजदूरी लागत में लंबित मजदूरी संशोधन के लेखा पर 25 प्रतिशत की वृद्धि शामिल है। मजदूरी संशोधन का प्रभाव सभी महापत्तन न्यासों के लिए हाल ही में घोषित मजदूरी बढ़ोतरी के आधार पर संशोधित कर 23 प्रतिशत किया गया है।

(iii). वीपीटी ने वेतनों की लागत के 20.54 प्रतिशत की दर से प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय परिकलित किया है और वर्ष 2007–08 के लिए वास्तविक आंकड़ों के संदर्भ में आधार स्पष्ट किया है जिसपर विश्वास किया गया है। प्रबंधन और सामान्य उपरिव्यय संशोधित मजदूरी लागत के 20.54 प्रतिशत की दर से सुविचारित किया गया है।

(iv). तेलों, ल्यूबरिकेंट्स और बिजली आदि के मामले में गणनाओं के अभाव में, वीपीटी द्वारा यथा प्रेषित अनुमान इस विश्लेषण में सुविचारित किया गया है।

(v). वीपीटी ने मरम्मतों, तेल और बिजली लागत के 10.27 प्रतिशत की दर से वर्कशाप, भंडार और सामान्य उपरिव्यय परिकलित किए हैं। चूंकि वीपीटी ने वर्ष 2007–08 के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर इस प्रतिशत से विपथन किया है, इसलिए, इसपर विश्वास किया गया है।

(vi). वीपीटी ने गोदी के कार्यदिवसों की संख्या 310 दिन (रविवार अतिरिक्त) पर विचार किया है। पत्तन द्वारा अनुमानित पोतों की संख्या और गोदी में पोतों के औसत विराम को ध्यान में रखते हुए, पत्तन द्वारा सुविचारित कार्यदिवसों की संख्या ज्यादा दिखाई देती है। 2008 के अपफ्रंट प्रशुल्क दिशानिर्देश 70 प्रतिशत पर सर्वोत्तम उपयोग निर्धारित करता है जिसे विभिन्न महापत्तनों के मामले में मोबाइल हारबर क्रेनों का किराया प्रभार निर्धारित करते समय लागू किया गया है। तदनुसार, इस मामले में भी

कार्यदिवसों की संख्या प्रतिदिन किराया प्रभारों पर पहुंचने के लिए 256 दिनों पर विचार किया गया है।

(vii). गोदी किराया/विराम प्रभारों के लिए लागत विवरण अनुलग्नक–I रूप में संलग्न किया गया है। संशोधित गणना के अनुसार, गोदी किराया/पोत के विराम के लिए प्रभार रु0 27967/– परिगणित किए गए हैं जोकि प्रथम 14 दिनों की वर्तमान दरों से 25 प्रतिशत ज्यादा है। अनुवर्ती दो स्लैबों के लिए दरें वीपीटी द्वारा यथा प्रस्तावित प्रथम स्लैब के संदर्भ में प्रतिशत वृद्धि बनाए रखने के लिए निर्धारित की गई है।

(ख). गोदीकरण और अगोदीकरण प्रभारः

वीपीटी ने यह सेवा ऑफर करने की लागत के आधार पर प्रस्तावित दर परिकलित की है। मजदूरी लागत को प्रशुल्क की पूर्व मद के अधीन यथा स्पष्ट की गई इन्हीं लाइनों पर संशोधित किया गया है।

वीपीटी ने बिजली की रु0 6.20 प्रति इकाई की दर जमा बिजली शुल्क के रूप में रु0 0.06 प्रति इकाई जमा पानी पम्पिंग के लिए 25 प्रतिशत अधिभार पर विचार किया है। पत्तन ने बताया है कि बिजली उपभोग को मॉनीटर करने के लिए शुष्क गोदी में अलग–से एक मीटर लगाया गया है और इसलिए पोत स्वामी को बिजली उपभोग और रु0 20/– के मीटर प्रभारों के अलावा बिजली शुष्क और अधिभार वहन करना होगा।। विशिष्ट अनुरोध के बावजूद पत्तन ने 25 प्रतिशत की दर से अधिभार की वसूली, पत्तन द्वारा यथा दावाकृत, प्रमाणित करने के लिए प्रासंगिक बिजली बिल की प्रतियां नहीं भेजी हैं। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि वर्ष 2008–09 और 2009–10 में निर्णीत वीपीटी में विभिन्न पीपीपी परियोजनाओं के लिए अपफ्रंट प्रशुल्क निर्धारित करते समय सुविचारित बिजली की इकाई दर रु0 6.20 है जो पत्तन द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी प्रमाण पर आधारित थे। ऐसी स्थिति में, पानी बाहर निकालने के लिए बिजली लागत रु0 6.20 की इकाई दर पर अनुमानित की गई है। 1 प्रतिशत बिजली शुल्क भी स्वीकृत किया गया है। चूंकि वीपीटी ने पुष्टि की है कि बिजली मीटर संस्थापित किया गया है, इसलिए मीटर प्रभार भी लागू किए गए हैं।

गोदीकरण और अगोदीकरण के लिए लागत विवरण अनुलग्नक–II रूप में संलग्न किया गया है। लागत विवरण के अनुसार, प्रथम गोदीकरण के लिए प्रभार रु0 43123 प्रति पोत परिगणित होता है जिसे अनुमोदित नहीं किया गया है।

प्रारंभ में, वीपीटी ने नौसेना और तट रक्षक पोतों के लिए द्वितीय गोदीकरण प्रभारों के लिए रु0 47000/– की अतिरिक्त दर प्रस्तावित की थी। तत्पश्चात, पत्तन ने यह उद्धरित करते हुए प्रथम गोदीकरण प्रभारों के 50 प्रतिशत पर द्वितीय गोदीकरण प्रभार प्रस्तावित किए हैं कि अपेक्षित लेबर और सामान प्रथम गोदीकरण की तुलना में कम होगा। द्वितीय गोदीकरण सेवा के लिए लागत में कटौती की मात्रा किसी गणना से तर्कसंगत नहीं ठहराई गई है। तथापि, द्वितीय गोदीकरण के लिए प्रशुल्क प्रथम गोदीकरण प्रभारों (अर्थात रु0 21562 प्रति पोत) के लिए अनुमोदित प्रभार के 50 प्रतिशत पर अनुमोदित किया गया है। द्वितीय गोदीकरण प्रभार द्वितीय गोदीकरण सुविधा प्राप्त करने वाले सभी पोतों पर लागू होंगे।

पत्तन को अगले प्रशुल्क संशोधन के समय ऐसी सेवाओं की लागत के संदर्भ में द्वितीय गोदीकरण के लिए भली प्रकार से विश्लेषित प्रस्ताव तैयार करने की सलाह दी जाती है।

(ग). यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि अन्य महापत्तन न्यासों जैसे मुम्बई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) और कोलकाता पत्तन न्यास (केओपीटी) के दरमान में शुष्क गोदियों के उपयोग के लिए प्रभार अर्थात किराया प्रभार, गोदीकरण और अगोदीकरण प्रभार पोतों के जीआरटी के आधार पर निर्धारित किए गए हैं और तटीय पोत के लिए निर्धारित रियायती प्रशुल्क के साथ डॉलर रूप में विदेशगामी पोत के लिए पृथक प्रशुल्क निर्धारित किए गए हैं।

वीपीटी के मामले में, वर्तमान किराया प्रभार जीआरटी से बिना जोड़े प्रतिदिन प्रति पोत पर निर्धारित किए गए हैं और पत्तन ने लेवी की वर्तमान इकाई को जारी रखने का प्रस्ताव किया है। प्रस्तावित गोदीकरण/अगोदीकरण प्रभार भी पोतों के जीआरटी पर आधारित नहीं है।

जैसाकि पहले बताया गया है, शुष्क गोदी सुविधा प्रारंभ में केवल पत्तन की जरूरतों को पूरा कर रही थी। अब है कि पत्तन ने अन्य पोतों द्वारा भी इस सुविधा का उपयोग किए जाने का अनुमान लगाया है। ऐसी स्थिति में यह प्राधिकरण पोतों के जीआरटी के आधार पर दरों के निर्धारण के लिए जोर नहीं देना चाहता है।

पत्तन ने उक्त सेवाओं के लिए विदेशगामी और तटीय पोतों के लिए पृथक दरें प्रस्तावित नहीं की हैं। चूंकि पत्तन ने मुख्यतः नौसेना और तट रक्षक पोतों को व्यवस्थित करने का प्रस्ताव किया है, इसलिए किराया और गोदीकरण/अगोदीकरण प्रभारों के लिए ऐसी विपथित दरों को तटीय पोतों के लिए लागू दर के रूप में माना जाए। हालांकि विदेशगामी पोत के लिए पृथक दर निर्धारित की जाए जब पोत पत्तन को भविष्य में शुष्क गोदीकरण सुविधा के लिए कहता है। विदेशगामी पोत के लिए दर विदेशगामी और तटीय पोत के बीच दरों में अन्तर के उल्लिखित स्तर को बनाए रखते हुए ओर 1 अमेरिकी डॉलर – रु0 46.84 की प्रचलित विनिमय दर लागू करते हुए विपथित की गई है। इसका कोई महत्वपूर्ण वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वीपीटी ने मुख्यतः नौसेना और तट रक्षक पोतों का अनुमान लगाया है।

पत्तन को सलाह दी जाती है कि ऐसे प्रचालन से प्राप्त किए गए अनुमान के आधार पर इसके दरमान के अगले सामान्य संशोधन के समय पोतों के जीआरटी के संदर्भ में विदेशगामी और तटीय पोत के लिए अलग–से गोदीकरण/अगोदीकरण प्रभारों और गोदी किराये के लिए उपयुक्त दरों का प्रस्ताव करें।

(घ). शुष्क प्रखंड तैयारी प्रभारः

वीपीटी ने 50 मीटर से कम आकार वाले समतल तल वालो पोंतों के लिए रु0 70000/– और 50 मीटर से कम माप वाले आकृति वाले पोतों के लिए रु0 120000/– की दरें प्रस्तावित की हैं जो पोत के आकार के साथ बढ़ जाती हैं।

(i). लागत में मुख्यतः 2 दिनों की अवधि के लिए गोदी प्रखंड तैयार करने से जुड़े कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की वेतन और मजदूरी, 2 दिनों के लिए 2 गोताखोरों की लागत और लकड़ी के प्लांकों और नेलों की लागत शामिल है।

(ii). प्रखंड तैयारी के लिए प्रयुक्त सामग्रियों की रिसाइकलिंग के बारे में टिप्पणी की गई थी। पत्तन ने स्पष्ट किया है कि सामग्रियों का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि वे प्रथम उपयोग के दौरान ही नष्ट हो जाएंगे। पत्तन द्वारा स्पष्ट की गई स्थिति पर विश्वास किया गया है।

(iii). उपर्युक्त संशोधन के अधीन, गोदी प्रखंड तैयारी के लिए प्रभारों के लिए इकाई दर समतल तल पोत के लिए रु0 70498 और आकृति वाले पोतों के लिए रु0 123772 परिगणित होता है। लागत विवरण की प्रति अनुलग्नक–III रूप में संलग्न की गई है। इसलिए, 50 मीटर से कम के समतल और आकृति वाले पोतों के लिए रु0 70,000 और 1,20,000 पर वीपीटी द्वारा प्रस्तावित दर अनुमोदित की गई है। इस आधार पर कि उपयोग किए जाने वाले प्रखंडों की संख्या पोत के आकार और पोत के पानी में डुबे भाग पर निर्भर करते हुए भिन्न होगी, संवर्धनात्मक दरं 50 से 100 मीटर के बीच के और कि 100 मीटर से अधिक के समतल तल और आकृति वाले पोतों के लिए प्रस्तावित की गई है, इसे भी अनुमोदित किय गया है। इस संबंध में, यह उल्लेखनीय है कि भारतीय तट रक्षक को भी जलयानों की विभिन्न लम्बाई के लिए शुष्क गोदी तैयारी के लिए प्रस्तावित दर उपयुक्त लगती है।

(ङ). प्रखंड स्थानांतरण प्रभारः
पत्तन ने प्रोद्भूत किए गए वास्तविकताओं के आधार पर प्रखंड स्थानांतरण प्रभारों की वसूली का प्रस्ताव किया है। जब विशिष्ट प्रस्तावित करने के लिए कहा गया था, तब पत्तन ने बताया था कि प्रखंड स्थानांतरण केवल उन्हीं मामलों में किया जा रहा है जहां पोतों से तल पर पेंटिंग करने की अपेक्षा की जाती है और ऐसे प्रखंड स्थानारतण पोत के आकार और प्रकार पर निर्भर करते हैं, इस सेवा के लिए विशिष्ट दर प्रस्तावित करने में पत्तन द्वारा अभिव्यक्त मुश्किल के मद्देनजर, वास्तविकताओं पर उपयोक्ताओं से वसूली करने का वीपीटी का प्रस्ताव कुछ समय के लिए स्वीकार किया गया है। तथापि, पत्तन को पिछले 2 वर्षों में ऐसे प्रचालन से हुए लाभ के आधार पर स्थानांतरण प्रखंडों के लिए शामिल लागत के परिमाणन का प्रयास करना चाहिए और पत्तन के लिए प्रशुल्क के अवलंबित सामान्य संशोधन के समय उपयुक्त दरों का प्रस्ताव करना चाहिए।

(च). स्टॉफ का समयोपरिः
वीपीटी ने दावा किया है कि शुष्क गोदी केवल सामान्य पारी में कार्य करती है और स्टाफ संख्या, तदनुसार, केवल एकल पारी के लिए बनाए रखी गई है। इसलिए, पत्तन ने वास्तविकताओं के आधार पर समयोपरि प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव किया है, यदि गोदीकरण/अगोदीकरण सामान्य कार्य घंटों के बाद किया जाता है। यह प्राधिकरण सामान्यतः पृथक समयोपरि प्रभार निर्धारित करने के पक्ष में नहीं रहता है क्योंकि पत्तनों से हर समय सेवाएं प्रदान करने की अपेक्षा की जाती है। इसके अलावा, कार्य के विस्तारित घंटों में भी इस प्रशुल्क मद से पत्तन द्वारा मूल प्रभार वसूल किए जाते हैं। उपर्युक्त के मद्देनजर, यह प्राधिकरण सामान्य कार्य घंटों के बाद कार्य करने के लिए वास्तविकताओं के आधार पर समयोपरि प्रभारों की वसूली के लिए पत्तन का प्रस्ताव अनुमोदित करने के लिए प्रवृत्त है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्राधिकरण ने फ्लोटिंग क्रेनों के उपयोग के लिए समयोपरि प्रभारों की वसूली के लिए पत्तन द्वारा दाखिल किए गए दूसरे पृथक प्रस्ताव और मई 2006 में पहले भी समयोपरि प्रभारों की वसूली के लिए पत्तन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया था।

(v). पत्तन ने किराये और गोदी प्रखंड तैयारी प्रभारों के लिए प्रस्तावित प्रशुल्क के आधार पर रु0 33.03 लाख प्रतिवर्ष की अतिरिक्त आय का अनुमान लगाया है। पत्तन ने शामिल किए जाने के लिए प्रस्तावित अन्य नई प्रशुल्क मदों से अतिरिक्त आय का अनुमान नहीं लगाया है। हमारे निर्धारण के अनुसार, किराया प्रभारों और नई प्रशुल्क मदों के लिए अनुमोदित प्रशुल्क वृद्धि पर प्रोद्भूत होने की संभावना वाली अतिरिक्त आय शुष्क गोदी सुविधा प्राप्त करने के लिए अनुमानित 6 संख्या पोतों के आधार पर लगभग रु0 11.18 लाख प्रतिवर्ष होगी। किसी भी मामले में, यह गतिविधि इसके सामान्य संशोधन प्रस्ताव, जिसके लिए कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी है, में समग्र पत्तन के लिए लागत स्थिति निर्धारित करते समय शामिल की जाएगी।

(vi). हमारे प्रश्नों पर जवाब भेजते समय वीपीटी प्रस्तावित क्रेन किराया प्रभारों में वृद्धि वापस लेने और वीपीटी के मौजूदा दरमान के खंड 5 के अधीन उप–खंड 5.5 की मद सं. (i) में निर्धारित दरों पर प्रभार जारी रखने के लिए सहमत था।

(vii). वर्तमान दरमान में निर्धारित किरायों/विराम के लिए शर्तें बनाए रखी गई हैं। वीपीटी ने नइ प्रशुल्क मदों को शासित करने वाली शर्तों का प्रस्ताव नहीं किया है। कार्यवाही के दौरान वीपीटी द्वारा प्रेषित टिप्पणियों के आधार पर, गोदी प्रखंड तैयारी में शामिल की गई सेवाएं विनिर्दिष्ट करने वाला नोट शामिल किया गया है। यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि प्रभारों में कील प्रखंडों की तैयारी के लिए सामग्रियों सहित सभी लागत शामिल हैं और बिल्ज प्रखंडों की तैयारी के लिए सामग्रियों को शामिल नहीं किया गया है।

(viii). प्रशुल्क दिशानिर्देश 3 वर्षों का प्रशुल्क वैधता चक्र विनिर्दिष्ट करते हैं। जैसाकि पहले बताया गया है, यह सुनिश्चित करना मुश्किल होगा कि जब प्रस्ताव की अलग–से जांच की गई थी तब लागत तत्वों को दोहराया नहीं गया था। इसलिए, इसके दरमान में निर्धारित अन्य प्रशुल्क मदों की समीक्षा के साथ इस प्रशुल्क मद की समीक्षा करना उपयुक्त होगा। ऐसी स्थिति में, शुष्क गोदीकरण गतिविधि के लिए अनुमोदित प्रशुल्क की वैधता इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित (किए जाने वाले) वीपीटी के संशोधित दरमान की वैधता तक निर्धारित की गई है।

9.1. परिणामस्वरूप, और उपर्युक्त कारणों से, और समग्र विचार–विमर्श के आधार पर, वीपीटी के दरमान में मौजूदा खंड 7.6.1 निम्नलिखित से परिवर्तित किया गया हैः–

परिवर्तित किया गया हैः–

''7.6.1. विशाखापत्तनम आंतरिक हारबरः

7.6.1.1. विशाखापत्तनम आंतरिक हारबर में शुष्क गोदी के उपयोग के लिएः

म्द	विवरण	इकाई	विदेशगामी पोत (अ0डा0 में)	तटीय पोत (रु0 में)
1.	पहले दिन से 14वें दिन तक	प्रतिदिन	995.13	27967.00
2.	15वें दिन से 30वें दिन तक	–वही–	1492.21	41937.00
3.	31वें दिन से आगे	–वही–	1990.25	55934.00

टिप्पणियांः

(1). उपर्युक्त प्रभारों में शिपराइट और पम्पिंग प्रभार शामिल है परंतु स्वच्छ जल, बिजली लाइटों और अन्य सुविधाओं की आपूर्ति के लिए प्रभार शामिल नही है।

(2). समय की गणना जब पत्तन का कोई हिस्सा प्रवेश के समय गेट लाइन को पार करता है से जब समग्र पात गेट लाइन से निकलने और डैक छोड़ने तक के क्षण तक की गई है।

(3). दिन अर्थात टिप्पणी 2 में निर्धारित समय से परिकलित 24 घंटे अथवा उसका भाग की अवधि।

(4). पत्तन का यह अपना क्षेत्राधिकार है कि वह उसी समय एक से ज्यादा पोत के लिए शुष्क गोदी के इस्तेमाल की अनुमति है। ऐसे अवसरों पर, पोत का गोदी प्रभार, जो अन्य पोत अथवा पोतों के अलावा उसकी मरम्मतें पूरी होने से पहले पूरा किया जाता है और जिसका गोदीकरण लंबित हो, बाद में मरम्मत के पूरा नहीं होने की वजह से, उस दिन की समाप्ति तक वसूल किया जाएगा जब उस पोत पर कार्य पूरा हो जाता है। कार्य पूरा होने अथवा पोत विशेष के बीच और सभी पोतों को अंतिम रूप से डॉक छोड़ने के बीच का समय 'डाइज़–नॉन' माना जाएगा।

(5). जब गोदी का उपयोग निजी पक्षों अथवा सरकार के अन्य विभागों अथवा पत्तन से संबंधित दो अथवा अधिक क्रॉफ्टों द्वारा समान्तर रूप से उपयोग किया जाता है तो कुल प्रभार अनुपाततः वसूल किए जा सकते हैं, अनुपात का निर्णय अभिग्रहीत तल क्षेत्र के आधार पर वीपीटी द्वारा किया जाएगा परन्तु प्रत्येक पोत के लिए निर्धारित आधे प्रभारों से कम की सीमा तक नहीं। प्रभारों के प्रभाजन में वीपीटी का निर्णय अंतिम होगा।

7.6.1.2. शुष्क प्रखंड तैयारी प्रभारः

(रु0 में प्रति पोत)

पोत की लम्बाई	< 50 मी0	50 - 100 मी0	> 100 मी0
समतल तल पोत	70000	87500	105000
आकृति वाले पोत	120000	160000	200000

टिप्पणियां:

शुष्क प्रखंड तैयारी प्रभारों में कील प्रखंडों की तैयारी के लिए सामग्रियों सहित सभी लागत शामिल हैं। उपर्युक्त प्रभारों में बिल्ज़ प्रखंडों की तैयारी शामिल नहीं है जिसके लिए पोत स्वामी द्वारा आपूर्ति किए जाने के लिए सामग्रियों की आवश्यकता होती है।

7.6.1.3. समेकित गोदीकरण और अगोदीकरण प्रभारः

(i). समेकित गोदीकरण और अगोदीकरण प्रभार अमेरिकी डॉलर 2117.95 प्रति विदेशगामी पोत और रु0 59523/– प्रति तटीय पोत वसूल किए जाएंगे।

(ii). द्वितीय गोदीकरण के मामले में, अमेरिकी डॉलर 767.22 प्रति विदेशगामी पोत और रु0 21562/– प्रति तटीय पोत की दर वसूल की जाएगी।

7.6.1.4. प्रखंड स्थानांतरण प्रभारः

प्रखंड स्थानांतरण प्रभार वास्तविकताओं के आधार पर वसूल किए जाएंगे।

9.2. वीपीटी के दरमान में यह संशोधन भारत के राजपत्र में इस आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के बाद प्रभावी होगा।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

गोदी किराया प्रभारों के निर्धारण के लिए लागत पत्रक

विवरण		वीपीटी द्वारा यथा दिया गया	हमारे द्वारा यथा संशोधित
			(राशि रु0 में)
पूंजी लागत		65000000	10694055
परिसंपत्ति का जीवनकाल (वर्षों में)		75	15
कार्यदिवसों की सं. प्रतिवर्ष		310	256
निर्धारित लागतः			
– निवेश पर प्रतिलाभ (परिसंपत्ति की मूल लागत का 16 प्रतिशत)		10400000	1711049
– मूल्यह्रास		866667	1057000
	क)	11266667	2768049
परिवर्तनीय लागतः			
– मरम्मतें और नवीकरण (मूल पूंजी लागत पर 3.33 प्रतिशत)		2164500	1366719
– वेतन (लंबित मजदूरी संशोधन के लेखा पर 23 प्रतिशत की दर से बढ़ी हुई वेतन सहित)		1357958	1336230
– प्रबंधन और सामान्य प्रशान उपरिव्यय (वेतन लागत का 20.54 प्रतिशत)		278925	274462
– तेल, ल्यूबरिकेंट्स और अन्य उपभोज्य		732230	732230
– बिजली		422960	422960
– वर्कशाप, भंडार और सामान्य उपरिव्यय (मरम्मतों, तेलों और बिजली का 10.27 प्रतिशत)		322674	259000
	ख)	5279247	4391600
कुल लागत प्रतिवर्ष (क + ख)		16545913	7159649
कुल लागत प्रतिदिन		53374	27967
अर्थात		**53350**	**27967**

अनुलग्नक - II

गोदीकरण और अगोदीकरण के लिए समेकित प्रभार

(राशि रु0 में)

विवरण		वीपीटी द्वारा यथा दिया गया	हमारे द्वारा यथा संशोधित
बोनस, एलएससी और पीसी सहित गोदीकरण लेबर वेतन		15345.77	15345.77
जोड़ें: 23 प्रतिशत लंबित मजदूरी संशोधन के लेखा पर वेतन में वृद्धि		3836.44	3529.53
		19182.21	18875.30
	अर्थात	**19200**	**18875**
बोनस, एसएलसी और पीसी सहित अगोदीकरण लेबर वेतन		7377.43	7377.43
जोड़ें: 23 प्रतिशत लंबित मजदूरी संशोधन के लेखा पर वेतन में वृद्धि		1844.36	1696.81
		9221.79	9074.24
	अर्थात	**9200**	**9074**
बोनस, एलएससी और पीसी सहित गोदी सफाई लेबर वेतन		5955.75	5955.75
जोड़ें: 23 प्रतिशत लंबित मजदूरी संशोधन के लेखा पर वेतन में वृद्धि		1488.94	1369.82
		7444.69	7325.57
	अर्थात	**7400**	**7326**
पानी निकालने के प्रभार			
पम्पिंग प्रभार (2 पम्प * 15 घंटे प्रति पम्प * 90 इकाईयां * रु0 6.20 प्रति इकाई)		16902	16902
अधिभार @ 25%		4226	0
मीटर प्रभार		20	20
		21148	16922
	अर्थात	**21150**	**16922**

समेकित प्रभार (वीपीटी द्वारा दिए गए अनुसार)

	गोदीकरण	अगोदीकरण	कुल
लेबर	19200	9200	28400
गोदी सफाई प्रभार	7400	7400	14800
पानी निकालने के प्रभार	21150	0	21150
	47750	16600	64350
अर्थात			**64000**

समेकित प्रभार (हमारे द्वारा यथा संशोधित)

	गोदीकरण	अगोदीकरण	कुल
लेबर	18875	9074	27950
गोदी सफाई प्रभार	7326	7326	14651
पानी निकालने के प्रभार	16922	0	16922
	43123	16400	59523
अर्थात			**59523**

अनुलग्नक - III

गोदी प्रखंड तैयारी प्रभार (समतल तल पोत)

(राशि रु0 में)

विवरण	वीपीटी द्वारा यथा दिया गया	हमारे द्वारा यथा संशोधित
बोनस, एलएससी और पीसी सहित कुल वेतन (2 दिनों के लिए)	31909.18	31909.18
जोड़ें: लंबित मजदूरी संशोधन के लेखा पर 23 प्रतिशत की दर से वेतन में वृद्धि	7977.30	7339.11
	39886.48	39248.29
जोंड़ें:		
2 दिनों के लिए 2 गोताखोरों की लागत (रु0 1000 प्रति कॉल * 2 गोताखोर * 2 दिन)	4000.00	4000.00
लकड़ी के प्लांकों और नेलों की लागत	27250.00	27250.00
ुष्क गोदी तैयारी के लिए कुल लागत	71136.48	70498.29
अर्थात	**70000.00**	**70000.00**

गोदी प्रखंड तैयारी प्रभार (आकृति वाले पोत)

(राशि रु0 में)

विवरण	वीपीटी द्वारा यथा दिया गया	हमारे द्वारा यथा संशोधित
बोनस, एलएससी और पीसी सहित कुल वेतन (2 दिनों के लिए)	54692.43	54692.43
जोड़ें: लंबित मजदूरी संशोधन के लेखा पर 23 प्रतिशत की दर से वेतन में वृद्धि	13673.11	12579.26
	68365.54	67271.69
जोंड़ें:		
1 दिन के लिए 2 गोताखोरों की लागत (रु0 1000 प्रति कॉल * 2 गोताखोर * 1 दिन)	2000.00	2000.00
लकड़ी के प्लांकों और नेलों की लागत	54500.00	54500.00
ुष्क गोदी तैयारी के लिए कुल लागत	124865.54	123771.69
अर्थात	**120000.00**	**120000.00**

सार

(राशि रु0 में)

पोत की लम्बाई	***< 50 मी0***	***50 - 100 मी0***	***> 100 मी0***
समतल तल वाला पोत	70000	87500	105000
आकृति वाला पोत	120000	160000	200000